FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर** मुकाम अलवर

उनवान कालूराम सैनी बनाम चिरंजीलाल सैनी

किस्म मुकदमा रेस्टोरेशन प्रा0प0 15/07/2025 प्रस्तुत दिनांकः– 06.08.2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि उसके द्वारा लगाए गए रेस्पोरेशन प्रार्थना पत्र को ही जबाव/बहस के रूप में लिया जाये। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पूर्ण। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में लिखा है कि दिनांक 03.07.2025 को अस्पताल से डिस्चार्ज होने की वजह से दिनांक 08.07.2025 न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थीगण की कोई बदनियती इसमें नहीं है। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात को अध्ययन व अवलोकन किया। मूल पत्रावली अदम हाजिरी किये जाने से पूर्व वास्ते बहस नियत थी जिसमें प्रार्थीगण के हित प्रतीत होते हैं। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्टोरशन प्रार्थना पत्र 200 रूपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली के साथ संलग्न हो। मूल पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13.01.2025 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)	